

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या:- 70/2015 (युआईटी एक्ट)

1. रामस्वरूप पुत्र प्यारे
2. हरीसिंह पुत्र प्यारे
3. रेशम पुत्री प्यारे
4. जाति जाटव निवासी किशनपुरा तहसील व मोहनदेई पत्नि स्व०
रतनसिंह जिला भरतपुर (राज०)
5. चन्दनसिंह पुत्र रतनसिंह
6. जयसिंह पुत्र रतनसिंह
7. सावित्री पुत्री रतनसिंह

नगर विकास न्यास भरतपुर।

बनाम

अपीलान्ट्स

रैस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर दिनांक 14.3.2013 आराजी आवाप्ति कृषि भूमि खसरा नम्बर 1314 चक नम्बर 2 कस्बा भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

उपस्थिति:-

1. श्री गम्भनसिंह वकील अपीलान्ट।
2. श्री बृजेश चतुर्वेदी वकील रैस्पोजेन्ट।

सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक:-30.01.2019

यह अपील नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 14.3.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नगर विकास न्यास भरतपुर ने बंसत विहार कॉलोनी के संदर्भ में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन होकर योजना बसी होने से सूमोटो कार्यवाही के अंतर्गत अपीलाधीन आदेश क्रमांक मामला संख्या 90 क (8)/16 वर्ष 2012-2013 दिनांक 14.3.2013 कृषि भूमि का गैर कृषिक (आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने हेतु जारी किया गया है। इस आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्टस की आराजी खसरा नम्बर 1314 रकबा 16 ऐयर वाकै चक नं0 2 भरतपुर में स्थित है। जिसके अपीलान्टस खातेदार काश्तकार है और अपनी भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है। जब अपीलान्टस अपनी भूमि को जोत बो रहे थे तो तहसील के पटवारी ने कहा कि आपकी भूमि यू0आई0टी0 ने आवाप्त कर ली है। अपीलान्टस ने जब पटवारी और यू0आई0टी0 आफिस में पूछा कि हमारी कब्जे काश्त भूमि हमसे बिना पूछे बिना हमारी जानकारी में लाये आवाप्त क्यों कर ली तो उनके द्वारा कहा गया कि आपकी कृषि भूमि को दिनांक 14.3.2013 से आवाप्त कर ली है आप उसकी नकल लेके अपील कर दो यहां पर कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद अपीलान्टस अपने आराजी खसरा नम्बर 1314 की नकल के लिये दिनांक 17.8.2015 को नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र लगाया और अपीलान्टस को अपनी जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने के बाद भरतपुर के वकीलों से 25-26.8.2015 को अपील के बाबत सम्पर्क किया और उक्त अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपीलान्टस को जानकारी होने की दिनांक से अपील को मियाद अन्दर शुमार की जावे। जिसके लिये पृथक से धारा-5 मियाद अधिनियम प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र संलग्न किया जा रहा है। अन्त में वकील अपीलान्टस द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्टस की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.2015 को निरस्त फरमाया जाये।

वकील रैस्पोजेन्ट द्वारा तहत अदालत नगर विकास न्यास भरतपुर के अपीलाधीन आदेश क्रमांक मामला संख्या 90 क (8)/16 वर्ष 2012-2013 दिनांक 14.3.2013 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट का यह कहना कि भूमि आवाप्त की गई है सरासर गलत है क्यों कि अपीलाधीन आदेश भूमि आवाप्ती के संदर्भ में जारी नहीं किया गया है अपीलाधीन आदेश तो भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के अंतर्गत कार्यवाही अमल में जायी जाने पर जारी किया गया है। नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा कृषि का अकृषि प्रयोजन होकर योजना बसी होने से सूमोटो कार्यवाही के दौरान नियमानुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन अपीलान्टस के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा भूमि का गैर कृषिक उपयोग होने के कारण निकाय द्वारा स्वप्रेरणा से प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। यह कार्यवाही आवाप्ति की न होकर 90-क की कार्यवाही है जिसमें मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। नियमानुसार Dexte Rous Designers and Assosates संस्था से सर्वे प्लान बंसत विहार कौलोनी प्राप्त हुआ है। नियमान्तर्गत समस्त कार्यवाही पूर्ण की गई है। लोक सूचना क्रमांक 90 -क (8) दिनांक 5.3.2013 को जारी की गई है। इसके अंतर्गत सभी हितधारी प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई थी कि कोई भी हितधारी यदि कोई उज्रदारी हो तो सात दिन के भीत-भीतर पेश कर सकता है। इस लोक सूचना को राजस्थान पत्रिका अखबार के स्थानीय अंक में प्रकाशन भी कराया है साथ ही जन सम्पर्क अधिकारी भरतपुर को

भी वास्ते प्रकाशनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराया गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कहना कि उसको सूचना नहीं थी सरासर गलत है। इसके अलावा यह अपीलाधीन आदेश में पर्यवसित की गई भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की कालावधि से गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग किया जा रहा है। मौके पर आज भी यह क्षेत्र बंसत विहार कौलोनी के नाम से जाना जाता है। वास्तविकता यह है कि बंसन्त विहार कौलोनी 50 प्रतिशत से अधिक 17.6.1999 से पूर्व की बसी हुई है और वर्तमान में मौके पर 50 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों का निर्माण कार्य हो चुका है। अन्त में वकील रैस्पोजेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि उपर्युक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.2013 नियमानुसार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के अंतर्गत पारित किया गया है जो विधि अनुरूप है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा-5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:-

“Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants”

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि-

“Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling The appeal”

अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते हैं। अपीलान्ट ने अपनी अपील में मुख्यतः यह बिन्दु उठाये है कि अपीलान्ट की भूमि आवाप्त कर ली गई है अपीलान्ट को सुना नहीं गया तथा मुआवजा नहीं मिला। अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत पत्रावली/तहत पत्रावली से यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है न कि अवाप्ति नियमों के अंतर्गत । विवादित आराजी खसरा नम्बर 1314 रकबा 16 ऐयर चक नम्बर 2 (बंसत विहार कौलोनी) भरतपुर क्षेत्र को वर्ष 1999 से पूर्व गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने के कारण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क (8) दिनांक 5.3.2013 को जारी की गई है। जिसकी सूचना स्थानीय अखबार राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन करायी गई, जनसम्पर्क अधिकारी वास्ते प्रकाशनार्थ, एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी

की गई है तथा हितधारी पक्षकारान से अन्दर सात दिवस एतराज भी चाहे गये है किन्तु ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज तहत पत्रावली में अथवा स्वयं अपीलान्टस द्वारा अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह माना जा सके कि नियत अवधि में अपीलान्टस द्वारा अपने एतराज तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये हो जिनके आधार पर तहत अदालत द्वारा की गई 90 ए की कार्यवाही को विधि अनुरूप न माना जा सके। इसके अलावा न तो भूमि आवाप्त की गई है और न ही 90 ए की कार्यवाही में कोई मुआवजे का प्रावधान है। इस 90 ए की कार्यवाही के अंतर्गत दौसने सर्वे में यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र आज भी मौके पर बसंत विहार कौलोनी बसी हुई है यह 50 प्रतिशत से अधिक 17.6.1999 से पूर्व बसी है तथा वर्तमान में मौके पर 50 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर निर्माण हो चुका है। वहालत मौजूदा स्थिति के मध्यनजर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.3.2013 में कोई विधिक त्रुटी नहीं पाते है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तहत अदालत नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा पारित भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 14.3.2013 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official